

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 456]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 22 नवम्बर 2021—अग्रहायण 1, शक 1943

नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2021

अधि. क्र. 21 एफ-1-20/2021/18-3, मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5-क की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, नीचे दी गई अनुसूची (1) में यथा उल्लेखित क्षेत्रों को जो उक्त अधिनियम की धारा 5-क की उपधारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 30 जुलाई 2021 को पूर्व में प्रकाशित किया जा चुका है, नगर पालिका परिषद खुरई, जिला सागर की सीमा में सम्मिलित करते हैं, अर्थात्:-

--:अनुसूची-एक:--

खुरई की नगर पालिका परिसीमाओं में सम्मिलित किया गया क्षेत्र

अनु.क्र.	तहसील	ग्राम का नाम	सम्मिलित किये जाने वाले सर्वे क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	क्षेत्र का ब्यौरा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	सागर	जरवास	4634	716.12	संपूर्ण
02	सागर	रेगुवा	278	295.08	संपूर्ण
03	सागर	सतनाई	258	277.52	संपूर्ण
04	सागर	आलखोडी	157	159.17	संपूर्ण
05	सागर	हनौता	247	245.2	संपूर्ण
06	सागर	हरदुआ	85	98.1	संपूर्ण
07	सागर	जगदीशपुरा	121	171.12	संपूर्ण
08	सागर	निर्तला	524	571.94	संपूर्ण
09	सागर	गूलर	142	209.02	संपूर्ण
10	सागर	रीठौर	204	273.79	संपूर्ण
11	सागर	लुहुरा	236	215.69	संपूर्ण
12	सागर	मुहली बुजुर्ग	396	401.74	संपूर्ण

--:अनुसूची-दो:--

अनुसूची एक में दर्शाये गये क्षेत्र को सम्मिलित करने के पश्चात, खुरई नगर पालिका परिषद की पुनरीक्षित सीमाएं निम्नानुसार होंगी:--

- उत्तर दिशा-- राजस्व ग्राम निर्तला, लुईरा एवं मुहली बुजुर्ग की सीमाओं को सम्मिलित कर ग्राम कोहा, ग्राम धांगर एवं महसी की सीमाओं से मर्यादित।
- पूर्व दिशा-- नगर खुरई की राजस्व सीमा की समस्त भूमि को सम्मिलित करते हुये ग्राम मुडिया, सिमरिया घाट एवं नरेन नदी से मर्यादित।
- दक्षिण दिशा-- ग्राम रेगुवा, ग्राम जरवास एवं सतनाई की राजस्व भूमि को सम्मिलित करते हुये ग्राम दलपतपुर, खजरा हरचंद एवं मुकारमपुर की सीमाओं से मर्यादित।
- पश्चिम दिशा-- राजस्व ग्राम बागथरी पट्टी, सुनेटी एवं घोरट एवं बीना नदी की सीमाओं से मर्यादित होकर राजस्व ग्राम दलपतपुर तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 22 नवम्बर 2021

क्र. एफ 1-20-2021-18-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 21-एफ 1-20-2021-18-3, दिनांक 22 नवम्बर 2021 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

Bhopal, the 22nd November 2021

Not. No, 21 F-1-20/2021/18-3 :: In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 5-A of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), the Governor of Madhya Pradesh, is pleased to include the areas as specified in Schedule-I below within the limit of Municipal area of Khurai, District-Sagar, same having been previously published in the Madhya Pradesh Extraordinary Gazette dated the 30th July 2021 as required by sub-section (1) of section 5-A of the said Act, namely:-

:: SCHEDULE-1 ::

The Area of village included within the Municipal Limit of Khurai shall be as follows:-

S.No	Tehsil	Name of Village	Survey No. to be included	Area (in Hectare)	Detail of area (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
01	Khurai	Jarwans	4634	716.12	Whole area
02	Khurai	Renguwa	278	295.08	Whole area
03	Khurai	Satnai,	258	277.52	Whole area
04	Khurai	Aalkhedi	157	159.17	Whole area
05	Khurai	Hanota	247	245.2	Whole area
06	Khurai	Harduwa	85	98.1	Whole area
07	Khurai	Jagdishpura	121	171.12	Whole area
08	Khurai	Nirtala	524	571.94	Whole area
09	Khurai	Gular	142	209.02	Whole area
10	Khurai	Rethore	204	273.79	Whole area
11	Khurai	Luharra	236	215.69	Whole area
12	Khurai	Muhli bujurg	396	401.74	Whole area

::- SCHEDULE-2 -::

The revised boundaries of the Municipal Area Khurai, after inclusion of the area prescribed in schedule-I above are as follows:-

- North direction—** Including Revenue boundary of Village Nirtala, Luharra and Muhli bujurg till the Revenue boundary of Village Koha, Dhangar and Mehasi.
- East direction—** Including Revenue boundary of town Khurai till Revenue boundary of village Mudiay, Simariya Ghat and Narain river.
- South direction—** Including Revenue boundary of village Renguwa, Jarwans and Satnai till the Revenue boundary of village Dalpatpur, Khajra harchand and Mukarampur.
- West direction—** Till the Revenue boundary of village Bagthari patti, Suneti, Ghorat and till bina river to Revenue boundary of village Dalpatpur.

By Order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SHUBHASHISH BANERJEE, Dy. Secy.